

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारीजुगदा.....
व भू.अ.नि. सुरज..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमारा...../नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जुगदा..... तहसील रेलमारा..... व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०११..... में खाता संख्या ४३३..... में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१	जुगदा	४३३	मीमा फुलालु सुमावत	मीमराज पुग लालु सुमावत

✓

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी रेलमारा सहायक कलक्टर,

क्रमांक: ११५६/२०२५/२६
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- २९/९/२५

1. तहसीलदार रेलमारा..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

✓

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं रेलमारा सहायक कलक्टर,